

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी-आव्हद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या  
217/2024

दायर दिनांक

20.05.2024

उनवान

निर्णय दिनांक

11.06.2024

1. बाली बाई पत्नि बद्री लाल जाट जाति जाट उम्र 62 वर्ष निवासी शोपुरा (सवाईपुर)  
तहसील कोटडी जिला भीलवाडा

प्रार्थीया

बनाम

हीरा पिता बद्री जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी शोपुरा (सवाईपुर) तहसील  
सवाईपुर जिला भीलवाडा

प्रभू लाल पिता बद्री जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी शोपुरा (सवाईपुर) तहसील  
सवाईपुर जिला भीलवाडा

कालू पिता सुन्दर जाट जाति जाट वयस्क उम्र शोपुरा (सवाईपुर) तहसील सवाईपुर  
जिला भीलवाडा निवासी

छोटू पिता सुन्दर जाट जाति जाट उम्र वयस्क निवासी शोपुरा (सवाईपुर) तहसील  
सवाईपुर जिला भीलवाडा

मथुरा पिता मोडा जाट जाति जाट वयस्क निवासी शोपुरा (सवाईपुर) तहसील सवाईपुर  
जिला भीलवाडा

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सवाईपुर, बडलियास जिला भीलवाडा

—विपक्षीगण


परिस्थितः—अधिवक्ता प्रार्थी अनिल कुमार ओझा

अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 उपस्थित नहीं

—: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू—राजस्व अधिनियम :—

—: निर्णय :—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र  
अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि  
जा शोपुरा प0ह0 सवाईपुर भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सवाईपुर तहसील व जिला भीलवाडा  
जमाबन्दी संवत 2074—2077 के खाता संख्या 223 की अभिलिखित आराजियात 35 कुल  
कता 1 कुल रकबा 1.0803 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है और  
प्रार्थीगण जैर—बहस के पडौसी खातेदारान है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजियात के बीच  
कोई स्थाई सीमा चिन्ह नही होने के कारण विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी खातेदारी  
आराजियात की मौके पर अभिलेख अनुसार नपती की जाकर मौके पर स्थाई सीमा चिन्ह  
स्थापित कराना चाहता है। प्रार्थी वर्णित भूमि के खातेदार काश्तकार है।


  
उपखण्ड अधिकारी  
भीलवाडा

इस पर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 से लगायत 05 उपस्थित नहीं। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रकरण का निस्तारण आज ही किये जाने की ईशतदुआ की गई। हाजिर वकील प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि मामला पत्थरगढी का है व प्रार्थी अपनी आराजियात की पत्थरगढी कराना चाहते हैं। हमने प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। चिंतन मनन किया एवं पत्रावली को वास्ते आदेश नियत किया गया।

हमने पत्रावली में प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यों व बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण आराजियात जैरबहस के खातेदार काश्तकार होकर इन्हे आराजियात जैर बहस की नपती करा सीमांकन (पत्थरगढी) कराने का अधिकार निहित है। उपर्युक्त विवेचन के क्रम में प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र में कित्त भूमि के खातेदार होने से सीमांकन (पत्थरगढी) कराने के अधिकारी होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाता है।

तहसीलदार सवाईपुर, बडलियास को सीमांकन(पत्थरगढी) कराने का आदेश दिया है कि मौजा शोपुरा प0ह0 सवाईपुर भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सवाईपुर तहसील व मौजा भीलवाडा की जमाबन्दी संवत 2074-2077 के खाता संख्या 223 की अभिलिखित आराजियात 35 कुल किता 1 कुल रकबा 1.0803 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढी कार्य संपादन से प्रारंभ करिकेन मुकदमा को सूचित किया जावे। पत्थरगढी का आशय पक्षकारों की उपस्थिति में शानात कायम करने भर से है। इस आदेश में किसी पक्ष की बेदखली व कब्जा देने की कार्यवाही नहीं की जाए तथा किसी न्यायालय का स्थगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन(पत्थरगढी) हेतु तहसीलदार सवाईपुर, बडलियास को 1000-00 अक्षरे एक हजार रुपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क रिकार्ड विधिवत धारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से करे, तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थीगण से मौके पर प्राप्त करे। तहसीलदार सवाईपुर, बडलियास को तहरीर जारी करे।

पत्रावली की निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में संपादित जावे। निर्णय आज दिनांक 11.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

  
(आनंद निवृत्ति सोमनाथ)  
उपस्थित अधिकारी  
भीलवाडा